भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2048**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पीएम-प्रणाम योजना

2048. श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री जय प्रकाश:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री मनोज तिवारी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री गणेश सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री जी द्वारा धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता निर्माण, पोषण और सुधार कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग करके और प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देकर उर्वरकों के सतत् और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में उक्त योजना के प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हुए बिना फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा और महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ड.) क्या सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने और जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लाभों के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए पालघर जिले में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में जागरूकता अभियान चलाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सतत् उर्वरीकरण विधियों को अपनाने के लिए राजसहायता अथवा प्रशिक्षण जैसी पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): जी, हां। यह सच है कि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" का अनुमोदन किया है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन अभियान का समर्थन करना है।

इस स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहन पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करने के लिए उनके द्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य होगा। प्रोत्साहनों का उपयोग कृषि अवसंरचना एवं उपज में वृद्धि से संबंधित प्रोत्साहन गतिविधियों (आईईसी) और आरएंडडी पर किया जा सकता है। शेष 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा रखी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इनआर्गेनिक और आर्गेनिक दोनों स्त्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश करके उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है। आईसीएआर जैव उर्वरकों/जैव समृद्ध आर्गेनिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं के साथ-साथ उत्पादों दोनों का विकास करता है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को गोबरधन पहल, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन स्कीमें/कार्यक्रम जैसे कि एमओपीएनजी की किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) स्कीम, एमएनआरई का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, डीडीडब्ल्यूएस का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आदि शामिल है, के तहत आर्गेनिक उर्वरकों अर्थात, संयंत्रों में उत्पादित एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम को बढ़ावा देने के लिए 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ 1500 रुपये/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है जिसमें रिसर्च गैप फडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये की कार्पस निधि शामिल है।

ये स्कीमें महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित पूरे देश में लागू की जा रही हैं।

****